

## कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय-आदेश ॥

TSP

राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के प्रावधानानुसार गठित विभागीय चयन समिति द्वारा पृष्ठांकित सूची अनुसार तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों को वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक-गणित(द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक) (पे-मेट्रिक्स लेवल 11) के पद पर पदोन्नति हेतु चयन किये जाने से इन्हें वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया जाकर पदस्थापन स्थान उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में किया जाता है।

इन्हें दिनांक 25-09-2018 तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर इनका स्वतः पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। इनका पदोन्नति पर वेतन राजस्थान सेवा नियम 26 'ए' के प्रावधानानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना में नियमानुसार निर्धारित किया जावे। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7 (1)कार्मिक/ क-2/95 दिनांक 20-06-01 एवं 08-04-03 के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्य कर्मि जिनके दिनांक 01-06-02 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक संतान हा तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संस्थाप्रधान कार्यमुक्ति से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से संतानों की कुल संख्या दो से अधिक नहीं हुई है। अन्यथा संबंधित संस्थाप्रधान राज्य सरकार की अधिसूचना के उल्लंघन के लिए व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। साथ ही यदि किसी कार्मिक के वर्तमान में निलम्बन अथवा सीसीए 16.17 के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन हो तो ऐसे कार्मिक को पदोन्नति पर कार्यमुक्त न करें एवं सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से अविलम्ब निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें। संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को स्वीकृति हेतु दिनांक 25-09-2018 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें। पदोन्नति सूची में ऐसे कोई शिक्षक जो पूर्व में ही वरिष्ठ अध्यापक या उच्च पद पर अथवा विभाग में कार्यरत नहीं हो तो उनकी सूचना भी मण्डल कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी को भिजावे। वर्तमान पदस्थापन स्थान परिवर्तन की स्थिति में उक्त आदेश संबंधित संस्था प्रधान को वाहक स्तर पर भिजवाया जावे। पदोन्नति परित्याग की स्थिति में चयनित वेतनमान के संबंध में राज्य सरकार के प्रचलित आदेशानुरूप कार्यवाही की जावेगी।

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इन कार्मिकों की पदोन्नति पर कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण एवं परित्याग की समेकित सूचना कार्यग्रहण दिनांक के एक सप्ताह के अंदर मण्डल कार्यालय को वाहक स्तर पर उपलब्ध करावेगे। यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण मूल जिले से अन्य जिले में हो गया है तो आदेश प्रभावी नहीं होगा। संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/रामावि इन पदोन्नत अध्यापकों को इनके नाम के सम्मुख विषय के रिक्त पद पर ही कार्यग्रहण करावें। "पदोन्नत शिक्षकों के पदोन्नति/पदस्थापन आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न याचिकाओं में प्रदत्त अन्तरिम आदेश व अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेंगे।"

संबंधित संस्थाप्रधान पदोन्नत कार्मिकों के विषय का प्रमाणीकरण स्नातक की मूल अंकतालिका से करते हुए शाला दर्पण अनुसार कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण करावें। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए इस कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं ई-मेल पर तुरन्त सूचित करेंगे।

(गुम्वल बिहारी दाधीव)  
शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)  
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक 15.09.2018

क्रमांक:-शिक्षा-मा/उदय/संस्था-ब/फा-1081-85/2018-19/626

प्रतिलिपी-सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
3. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर मण्डल, उदयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,.....
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पं.स.....
6. संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि.....
7. संबंधित कार्मिक/व्यक्तिगत पंजिका
8. वरिष्ठता/संस्था-स अनुभाग, कार्यालय हाजा

(गुम्वल बिहारी दाधीव)  
शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)  
उदयपुर मण्डल, उदयपुर


**कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर**

क्रमांक:- शिउनि-मा/उदय/संस्था-ब/फा-1081.85/2018/ 626

दिनांक:- 15.09.2018

**टीएसपी- गणित**

क्र. सं.	मण्डल स्थाई वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम कार्मिक मय पिता का नाम एवं पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	जाति	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान राउमावि/रामावि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-A	2012-13	सुभाष चन्द्र राउप्रावि मेहंदीखेड़ा पीपलखूंट प्रतापगढ़	06-04-80	GEN	साठपुर-धरियावद	प्रतापगढ़
2	3A	2012-14	संदीप / जुगलकिशोर राउप्रावि भुजाखेत बेकरिया-कोटडा उदयपुर	25-06-82	GEN	लोहारचा-कोटडा	उदयपुर
3	26	2012-15	धर्म सिंह/ सायरसिंह राउप्रावि धावडा प्रतापगढ़	10-07-87	GEN	बिलडी-पीपलखूंट	प्रतापगढ़
4	35	2012-16	हितेशु पुरोहित , रा.नि.पशुपालक आवासीय विद्यालय सागवाडा, डूंगरपुर	10-12-87	GEN	सूराजी खेडा-धरियावद	प्रतापगढ़

  
**(युगल बिहारी दाधीच)**  
 शिक्षा उपनिदेशक(माध्यमिक)  
 उदयपुर मण्डल उदयपुर